बुक न. 2JJ   क्रमांक 090

परिशिष्ट - घ (नियम-27)

कार्यालय : नगर पालिक निगम, विलासपुर (छ.ग.)

(छ.ग.) भूमि विकास निगम 1984

भवन के विकास / भवन की अनुज्ञा की स्वीकृति करने या उसकी अस्वीकृति के लिए प्रारूप

(19)

क्रमांक : न.पा.नि./भ.अ./ Z-2/118/2018-19-   विलासपुर, दिनांक 14-11-

प्रति,

श्री- अम्बे अंजनी एसोसिएट-
भागीदार- श्री अमरलाल बानी पिता-
श्री- परस राम लाल बानी- एवं- संजय कुमार
अग्रवाल, संतोष कुमार शर्मा, प्रवीण कुमार दुबे।

आनलाईन जमा-
प्रपोजल न. 2690-

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 7-1-2019- के संबंध में आपको ग्राम जूना बिलासपुर के.ख.नं. नजूल शीट नं. ‒ ‒ वस्ती लिंक रोड, बिलासपुर में भूमि भवन के विकास निर्माण हेतु निम्नांकित निबंधों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है / स्वीकृति नहीं दी जाती ।

1. स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार सड़क हेतु भूमि एवं निर्धारित सेटबेक छोड़कर ही निर्माण करना होगा ।
2. शासकीय नगर निगम की भूमि अथवा सड़क पर सीढ़ी, चबूतरा, छज्जा आदि का निर्माण न करें।
3. निकासी हेतु पक्की नाली का निर्माण कर निकटस्थ नगर निगम की नाली से जोड़ना होगा । आसपास नाली न होने पर अपनी भूमि पर स्वतः के व्यय पर से सोकपिट का निर्माण करना होगा ।
4. निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर पिल्थ लेवल तक होने एवं पूर्ण होने पर उसकी लिखित सूचना संलग्न प्रारूपों में निगम कार्यालय में देनी होगी ।
5. सेप्टिक लेट्रिन एवं बाथरूम का निर्माण की शर्तों का पालन करना होगा ।
6. यदि आवश्यक हो तो नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 13-11-2020- के पूर्व प्रस्तुत करें।
7. निर्माण कार्य के दौरान स्वीकृति पत्र एवं अनुमोदित मानचित्र की प्रति निरीक्षण हेतु स्थल पर रखना होगा ।
8. भू-स्वामित्व एवं अभिन्यास संबंधी विवाद होने की दशा पर या अनुमति के विरूद्ध निर्माण करने की दशा पर अनुज्ञा स्वयं निरस्त माना जावेगा ।
9. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर नाली एवं सड़क हेतु भूमि आपके भूखण्ड से भूमि अधिग्रहण किया जावेगा जिसका कोई मुआवजा देय नहीं होगा ।
10. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान अनिवार्य रूप से रखना होगा ।
11. छ.ग. भूमि विकास अधिनियम 1984 के नियम 31 का पालन करना होगा ।
12. पर्यावरण की दृष्टि से अपनी स्वतः की खुली भूमि पर कम से कम दो वृक्ष लगाना होगा ।
13. भवन से निकलने वाली सीवरेज पाईप को अण्डर ग्राऊण्ड सीटी सीवरेज पाईप से जोड़ने की अनिवार्यता होगी।
14. निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न डस्ट, प्रदूषण नियंत्रण के तहत भवन निर्माण के दौरान धूल से उत्सर्जन को नियंत्रण करने हेतु निर्माणाधीन भवन को ग्रीन नेट से ढंकना अनिवार्य होगा ।
15. निर्माण कार्य पूर्ण होने पश्चात् भवन पूर्णता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा तथा निर्माण कार्य के दौरान निर्माण सामग्री गिराने के 24 घंटे के भीतर उसे निर्माण स्थल पर रखना होगा ।
16. निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में नवीनीकरण कराने का उत्तरदायित्व भवन स्वामी का ही होगा ।
17. संलग्न मानचित्र के अनुसार सामान्य अन्य शर्तों के तहत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण की अनुमति प्लिंथ लेवल तक के लिए दी जाती है। शेष अनुमति जांच उपरांत दी जावेगी। भवन निर्माण स्वीकृति उपरांत भवन स्वामी द्वारा स्वःकर निर्धारण के अन्तर्गत विवरणी एवं सम्पत्तिकर नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा। अनुज्ञा स्वीकृति उपरांत निर्माण विध्वंसक अपशिष्ट मलबा निपटान स्वयं करना होगा, नहीं करने पर नगर निगम के आदेशानुसार जुर्माना देना होगा। निर्माण कार्य से आम-मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था संबंधी एन.बी.सी. पैरा-चार तथा भूमि विकास अधिनियम 1984 के नियम 31- का पालन करना होगा। निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं निर्माण सामग्री गिराने के पूर्व संबंधित जोन कमिश्नर नगर पालिक निगम बिलासपुर को सूचित करना होगा। तीन बार से अधिक निर्माण सामग्री सड़क पर पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ...

(P.T.O.)

शुल्क जमा:-
सड़क बाधा - 20000
रैनवाटर - 189222
उपकर - 460348
सुधार - 214821
अनुज्ञा - 47339
योग - 911738-
रसीद - 6807-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी - राज्य स्तरीय विकास ... छ.ग. नया रायपुर का पत्र क्र./91 स्था./2018/528/ दिनांक 22.5.2018 के आदेशानुसार जारी।

भवन अधिकारी
नगर पालिक निगम
बिलासपुर (छ.ग.)
14/11/19

14-11-2019

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner